न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 32/2017

RCMS No. : 2017/00265

प्रार्थीः— बनाम अप्रार्थीगण :—

दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली

1. श्री श्यामलाल पुत्र देवाराम माली (विक्रेता) मैसर्स—अम्बिका जनरल स्टोर्स, जोधपुर रोड़ बर, जिला पाली
2. श्री सुगनाराम पुत्र गोदाराम माली (मालिक) मैसर्स—अम्बिका जनरल स्टोर्स, जोधपुर रोड़ बर, जिला पाली
3. श्री मोतीलाल कोठारी पुत्र भंवरलाल (मालिक) मैसर्स—कोठारी एण्ड सन्स, 4—5, छाजेड़ मार्केट, गोपालजी मोहल्ला, ब्यावर
4. कोठारी एन्टरप्राईजेज (कर्ता एचयूएफ फर्म) मोतीलाल पुत्र भंवरलाल कोठारी, जी 1—44 (ए) रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज—2, ब्यावर, जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :—

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

—: निर्णय :—

दिनांक :— 18/02/2020

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 न्यायालय में अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता हैं। बहस खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 व 4 सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में पदस्थापित है। दिनांक 21.03.2016 को दौराने गश्त अप्रार्थी संख्या 2 की फर्म मैसर्स अम्बिका जनरल स्टोर्स, जोधपुर रोड़ बर, जिला पाली पर गए। फर्म पर अप्रार्थी संख्या 1 की उपस्थित मिला तथा वहां पर रिफाईण्ड सोयाबिन तेल (ब्राण्ड गोल्ड) की लगभग 45 पेक बोतल आमजन को बिक्री हेतु रखी हुई थी, जिनको देखने से उनमें मिलावट का शक हुआ, तब इनमें से 4 मूल बोतल रिफाईण्ड सोयाबिन तेल (ब्राण्ड गोल्ड) वास्ते जांच हेतु क्रय कर,

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

उक्त क्रयसुदा रिफाईण्ड सोयाबिन तेल (ब्राण्ड गोल्ड) को चार भागों में विभक्त कर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–504 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया रिफाईण्ड सोयाबिन तेल (ब्राण्ड गोल्ड) को Sub Standrad does not conform and Mis Branded पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Sub Standrad does not conform and Mis Branded रिफाईण्ड सोयाबिन तेल (ब्राण्ड गोल्ड) का विनिर्माण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 की फर्म से लिया गया नमूना आर–504 खाद्य तेल रिफाईण्ड सोयाबिन (ब्राण्ड गोल्ड) से उनका कोई लेना–देना नहीं है तथा न ही उक्त प्रॉडक्ट उनका है। उक्त प्रॉडक्ट उनका है, ऐसा कोई दस्तावेज खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी संख्या 1 से नहीं लिया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जो बिल प्रार्थी के समक्ष पेश किया, उक्त बिल में अंकित माल एवं जिसका नमूना लिया गया दोनों अलग माल है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.03.2016 को अप्रार्थी संख्या 2 की फर्म से रिफाईण्ड सोयाबिन तेल (ब्राण्ड गोल्ड) क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–504 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./323/एक्ट/2016/354 दिनांक 06.04.2016 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–504 को Sub Standrad does not conform and Mis Branded माना है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने रिफाईण्ड सोयाबिन तेल (ब्राण्ड गोल्ड) अप्रार्थी संख्या 3 व 4 से क्रय किया है। इस संबंध में उन्होंने प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 3 की फर्म का बिल संख्या 1982 दिनांक 02.03.2016 पेश किया है, जो पत्रावली संलग्न है, उक्त बिल के अवलोकन से स्पष्ट है कि बिल अप्रार्थी संख्या 3 की फर्म का ही है, जिसके द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 की फर्म को उक्त माल बेचान किया गया है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 21.12.2016 एवं 08.02.2017 से अप्रार्थी संख्या 4 को बिल संख्या 1982 दिनांक 04.03.2016 के संबंध में अपना जवाब पेश करने हेतु प्रेषित किया गया। लेकिन अप्रार्थी संख्या 3 ने कोई जवाब प्रार्थी के समक्ष पेश किया हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, बल्कि अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा स्वहस्ताक्षरित दिनांकित 05.04.2017 उनकी फर्म का एफएसएसएआई प्रमाण पत्र, स्वयं का पहचान पत्र व रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र पेश किया गया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। उपरोक्त तथ्यो के आधार पर यह मानने योग्य तथ्य नहीं है कि जिस माल का नमूना लिया गया है, वह अप्रार्थी संख्या 3 की फर्म का प्रॉडक्ट नहीं है तथा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 भी यह साबित

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

करने में असफल रहे है कि उक्त प्रॉडक्ट उनकी फर्म का नहीं था। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./323/एक्ट/2016/354 दिनांक 06.04.2016 की रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रॉडक्ट पर बैच नम्बर नहीं दिए गए है तथा Acid value 0.5 से अधिक नहीं होनी चाहिए, उसकी जगह Acid value 0.672 है तथा Rancidity Absent होनी चाहिए, उसकी जगह Rancidity Present है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन किया गया है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 51 एवं 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा Sub Standrad does not conform and Mis Branded खाद्य वस्तु रिफाइण्ड सोयाबिन तेल (ब्राण्ड गोल्ड) का निर्माण एवं विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 पर 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये मात्र, अप्रार्थी संख्या 2 पर 30,000/– अक्षरे तीस हजार रूपये तथा अप्रार्थी संख्या 3 पर 1,30,000/– अक्षरे एक लाख तीस हजार रूपये मात्र एवं अप्रार्थी संख्या 4 पर 1,30,000/– अक्षरे एक लाख तीस हजार रूपये मात्र कुल 3,00,000/– अक्षरे तीन लाख रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 18/2/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली